सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 309 राँची, शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

22 मार्च, 2018

विषयः- राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर०एस०सी०सी०एल०) को आवंटित हिस्सा पूँजी की राशि बैंक खाता में रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-261 (b) को शिथिल करने के संबंध में ।

संख्या- RSCCL/Paid Cap/84/2017-1714-- राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखण्ड राज्य की राजधानी, राँची में मेसर्स एच०ई०सी० लिमिटेड की 656.30 एकड़ क्षेत्र पर ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में राँची स्मार्ट सिटी का विकास किया जाएगा ।

इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या-4552 दिनांक 16 अगस्त, 2016 के द्वारा राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन नामक विशेष योजना साधन (SPV) का

गठन करते हुए उसकी प्रदत्त पूँजी (Paid-up-Capital) की सीमा 200.00 करोड़ रूपये कर दी गई है तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-170 दिनांक 26 सितम्बर, 2017 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-171 दिनांक 26 सितम्बर, 2017 के द्वारा क्रमश: 10,00,00,000/- रूपये OSP में तथा 10,00,00,000/- रूपये TSP प्रक्षेत्रों में बतौर हिस्सा पूँजी राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

2. राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को उक्त स्वीकृत हिस्सा पूँजी पी०एल० खाते में संधारित है । पी०एल० खाते में राशि संधारित होने के कारण कम्पनियों को अपने दैनन्दिनी कार्य के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा कम्पनी ससमय अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है ।

उल्लेखनीय है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (64) के तहत सरकार की हिस्सा पूँजी प्रदत्त तब मानी जाएगी, जब यह राशि उक्त कम्पनी के खाते में अंतरित हो जाए ।

3. पी०एल० खाते से बैंक खाते में हिस्सा पूँजी रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-261 (b) में वर्णित प्रावधान 'Money withdrawn as grant-in-aid will not be kept in bank account but as a personal deposite account in the specified treasury' को शिथिल करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

4. सम्यक् विचारोपरान्त राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के दैनन्दिनी कार्य निष्पादन की कठिनाई को दूर करने एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(64) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को समय-समय पर आवंटित हिस्सा पूँजी की समस्त राशि बैंक खाते में रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-261 (b) के प्रावधान को शिथिल करते हुए अनुमति प्रदान की जाती है ।

5. प्रस्ताव पर दिनांक 15 फरवरी, 2018 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-24 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 309 -- 200